# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in


पत्रांक : नि० प्रा०/नि०-1-23/2014 560 /पटना, दिनांक 24/08/2016

प्रेषक,

**फूल सिंह,**
मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

**सेवा में,**

**सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,**
**सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),**

विषय:- **सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े सहकारी समितियों/ स्वाबलंबी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्तरीय बैठक में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि प्रायः सहकारी समितियों/स्वाबलंबी सहकारी समितियों के निर्वाचन में सदस्यता सूची/ मतदाता सूची पर विवाद उत्पन्न होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण कराया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। निकट भविष्य में प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति एवं व्यापार मण्डल सहयोग समिति का चुनाव होनेवाला है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाय कि सदस्यता सूची/मतदाता सूची पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। सदस्यता/मतदाता सूची पर विवाद के समाधान के लिए निम्नांकित बिन्दूओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय:-

(क) पूर्व से जो सदस्यता/मतदाता सूची बनी हुई है और जिस पर मतदान हो चुका है, उस सूची को आधार सूची माना जाय।

(ख) आधार सूची में नये बनाये गये सदस्यों का नाम जोड़ा जा सकता है या पुराने सदस्यों को हटाया जा सकता है किन्तु इसका सदस्यवार कारण स्पष्ट करना अपेक्षित है और इस प्रकार का निर्णय प्रबंधकारिणी समिति/बोर्ड की बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पारित कराना आवश्यक होगा।

2. यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत् निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ससमय प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन विहित स्थलों (निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर, सहकारी समिति के कार्यालय के सूचना पट पर, जिला सहकारिता पदाधिकारी/ दुग्ध उत्पादक संघ के कार्यालय के सूचना पट पर) पर नहीं किया जाता है, जिससे सदस्यों को जानकारी नहीं हो पाती है और बाद में यह विवाद का कारण बनता है। इसके निराकरण हेतु निर्धारित तिथि को ससमय विहित स्थलों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना निर्वाचन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे और उसी तिथि को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची पी0डी0एफ0 फाईल में ई-मेल द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे ताकि उसे प्राधिकार के वेबसाईट पर सदस्यों की जानकारी हेतु अपलोड किया जा सके।

3. यदा-कदा विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित मतदाता सूची शरारती तत्वों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सदस्यों को जानकारी नहीं हो पाती है। इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी अपने कार्यालय के एक कर्मी को चिन्हित कर उनके पास प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति रक्षित करेंगे और अपने कार्यालय के

सूचना पट पर कर्मी के नाम के साथ इस आशय की सूचना प्रकाशित करेंगे कि संबंधित कर्मी के पास प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति रक्षित है, जो सदस्य देखना चाहें देख सकते हैं।

4. कृपया उक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी